(5)

संख्याः शिक्षा–एच(21)ए(1) 16/2018–(सामान्य निर्देश)–लूज
शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर) हिमाचल प्रदेश।
दिनांक : शिमला–171001, जुलाई 2019.

प्रेषकः–

निदेशक,
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हि0प्र0।

प्रेषितः–

1. उपायुक्त शिमला
जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।

2. क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी,
परिवहन निदेशालय, शिमला हिमाचल प्रदेश।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर
01 JUL 2019

विषयः– स्कूली बच्चों की सुरक्षा के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 01.07.2019 को प्रातः शिमला शहर के खलीनी में हुए स्कूल बस हादसे और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः TPT-A(7)-1/2018 दिनांक 12.10.2018 की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि छात्रों की सुरक्षा के मध्यनजर हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा निजी स्कूलों को उपलब्ध करवाई जा रही बसों की उचित जांच करने के उपरान्त ही बसों को उपलब्ध करवाई जाये।

इसके अतिरिक्त निजी स्कूलों द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को घर से स्कूल लाने व स्कूल से वापिस घर ले जाने हेतु उपलब्ध करवाई जा रही बसो व टैक्सियों के सम्बन्ध में स्कूल प्रन्बन्धन से परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः TPT-A(7)-1/2018 दिनांक 12.10.2018 की अनुपालना सुनिश्चित की जाये। स्कूल द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबन्धन के विरूद्व कडी से कडी कार्यवाही अमल में लाई जाये। ताकि आये दिन हो रहे हादसो पर रोक लग सके।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश शिमला–1

पृष्ठांकन संख्याः 04 दिनांकः शिमला–171001, जुलाई, 2019
प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर,) हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिये जाते है कि समस्त निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापको को स्कूली बच्चों की सूरक्षा के हितो को मध्यनजर रखते हुए समय–समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशो की अनुपालना करने के आदेश जारी करें। किसी भी स्कूल द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने की स्थिति में स्कूल के विरूद्व कडी कार्यवही अमल में लाई जाये।
2. समस्त निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यो/मुख्यध्यापकों, को निर्देश दिये जाते है कि परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसुचना संख्याः TPT-A(7)-1/2018 दिनांक 12.10.2018 की अनुपालना सुनिश्चित करे तथा यातायात नियमों के अनुरूप स्कूल बसों में योग्य चालकों की नियुक्ति करें।
3. अधीक्षक ग्रेड–2 कम्पयुटर शाखा, शिक्षा निदेशालय उच्चतर को विभागिय बैवसाईट पर अपलोड करनें हेतु प्रेषित है।
4. रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश शिमला–1